तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 46/2021 अनवान नारायणसिंह बनाम खुमाणसिंह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/08/24	**निर्णय** पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 चिमनसिंह के विधिक वारिश है, जिनकी पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा इन्द्रानगर पटवार हल्का सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दारा/ससुर स्व. चिमनसिंह के देहान्त पश्चात उनके दोनों पुत्रों रिडमलसिंह व समर्थसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता रिडमलसिंह व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व अप्रार्थी संख्या 03 के पति समर्थसिंह के देहान्त पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात 72.00 बीघा भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात 72.00 बीघा भूमि खातेदारी अधिकारों की भूमि है। अप्रार्थीगण ने मिलकर अपने 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा की भूमि अर्थात पूरे खसरे में से 1/6 हिस्सा अर्थात 24.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 04 को दिनांक 18.05.2009 को पंजीबद्ध बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 04 ने अपने 1/6 हिस्से में से 12.00 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान अप्रार्थी संख्या 06 को कर दिया। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त पंजीबद्ध बेचान के आधार पर तथा भूमि का विधिवत बेचान नही होने के कारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन दखलन्दाजी करे [illegible] वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे [illegible] इन्द्रानगर पटवार हल्का सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।	
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.05 11:46:26 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि में बेचान हो रखे है तथा अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो उभय पक्षों को अपूर्णीय क्षति होगी। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा इन्द्रानगर पटवार हल्का सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 219 रकबा 144.00 बीघा भूमि में उभय पक्ष रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.05 11:46:26 IST
Reason: SelfAttested